(32)

# न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1342–दो/2010 अपील – विरूद्व आदेश दिनांक 23–06–2010 – पारित – व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग रीवा – प्रकरण कमांक 335/2007–08 अपील

1– श्रीमती जयरजुआ पत्नि हरिदास गुप्ता
2– यग्यलाल गुप्ता पुत्र हरिदास गुप्ता
निवासी ग्राम खटकरी तहसील हनुमना
जिला रीवा , मध्य प्रदेश ——अपीलार्थी

विरूद्व

1– छकोड़ी लाल पुत्र शिवप्रसाद गुप्ता
2– गोपालदास पुत्र शिवप्रसाद गुप्ता
3– अशोक कुमार पुत्र शिवप्रसाद गुप्ता
सभी निवासीगण ग्राम हिनौती
तहसील सिंहावल जिला सीधी मध्य प्रदेश। ——रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलार्थी के अभिभाषक श्री रमाकांत पटैल)
(रिस्पा0 के अभिभाषक श्री रजनीश मिश्र)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 10 –2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 335/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–6–07 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पांडेन्टस व्दारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष ग्राम हिनोती की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 1 पर आदेश दिनांक 28–2–2007 के विरूद्व इस आशय की अपील प्रस्तुत की कि ग्राम हिनौती तहसील सिंहावल की कुल किमता 17 कुल रकबा 3.11 हैक्टर के हिस्सा 1/2 के स्वर्गीय कोमली पुत्र छोटू वानी सहस्वामी थे जिन्होंने दिनांक 15–11–3 को अपीलांट्स के हित में बसीयत की थी, उनकी मृत्यु के वाद सुनवाई का अवसर दिये बिना

ग्राम हिनोती की नामान्तरण पॅंजी के स. क्र.1 पर आदेश दि. 28—2—2007 पारित किया गया है इसलिये अपील स्वीकार की जाय। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्र0क0 70/2006—07 अपील पॅंजीबद्व कर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई की तथा आदेश दि. 5—12—2007 पारित किया एंव ग्राम हिनोती की नामान्तरण पॅंजी पर दिये गये आदेश दिनांक 28—2—2007 को निरस्त कर प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 335/2007—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 23—6—07 से अपील निरस्त की। इसी आदेश के विरूद्व यह तीसरी अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपील मेमो में अंकित तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम हिनोती की नामान्तरण पॅंजी के सरल क्रमांक 1 पर पारित आदेश दिनांक 28—2—2007 के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष की गई है एंव दूसरी अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत हुई है, जिनके निराकरण उपरांत तीसरी अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान न होने से अपील अग्राह्य है। अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपील मेमो में अथवा समक्ष में अपील को निगरानी में बदलकर सुनने की मांग नहीं की है । प्रकरण का पेटा पूर्ण होकर अंतिम बहस के समय तक यह मांग नहीं किये जाने से द्वित्तीय पक्ष को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार से बंचित नहीं किया जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रचलन—योग्य न पाये जाने से अमान्य की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर